भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये   Rs. 100

रु. 100   ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   B 836301

(ओम्)

किस्म दस्तावेज -- न्यायपत्र / ट्रस्ट डीड

राज फाउन्डेशन ट्रस्ट

मै कि रमेश चन्द शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामनाथ शर्मा निवासी 68, नरोत्तम कुंज, आगरा उ0प्र0 जो न्यास की स्थापना के बाद संस्थापक अध्यक्ष (चेयरमेन) के रूप में उल्लिखित होंगे, जन कल्याणानार्थ नीचे लिखे उदेदश्यों की पूर्ति हेतु अपने संसाधनो से 51,000/- रूपया संचित किया है जो जन हितार्थ धमार्थ, ट्रस्ट की स्थापना हेतु इस घोषणा पत्र का निष्पादन कर रहा हूँ।

1. ट्रस्ट का नाम : राज फाउन्डेशन ट्रस्ट
2. संस्था का पता : 68, नरोत्तम कुंज, आगरा
3. संस्था का कार्य क्षेत्र: समस्त भारत वर्ष

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 836302

4• संस्था का उद्धेश्य -

1 - कर्मयोगी श्री कृष्ण के आदेशों के अनुरूप देश में जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित करना, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों का चारित्रिक ,नैतिक,मानसिक एवं सामाजिक विकास हो सके।

2 - सुदूर ग्रामीण एवं पिछड़े शहरी, क्षेत्रो में आधुनिकतम शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा नौजवानों के सर्वांगीण विकास हेतु तकनीकी शिक्षा, इन्जीनियरिंग एवं चिकित्सा, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं उनका संचालन करना।

3 - भारतीय संस्कृति , मुगल संस्कृति एवं पाश्चात्य संस्कृति में सामानजस्य बनाते हुये संगीत, शिक्षा केन्द्र, आध्यात्मिक केन्द्र, प्राकृतिक साधना योग आश्रत ,ज्योतिष तथा पाण्डित्य ज्ञान केन्द्र एवं अराजनैतिक विचार केन्द्रो की स्थापना करना ।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 836303

रोकड़िया
1 MAY 2006
कोषागार, आगरा

4 - पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण, प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक सम्पदा की सुरक्षा के लिये केन्द्र एवं प्रान्तीय सरकारो के सहयोग से संस्थान चलाना ।

5 - प्राचीन चिकित्सा पद्वति यूनानी एवं आधुनिक चिकित्सा पद्वति में सामान्जस्य करके जनहितकारी चिकित्सा शोध संस्थान, हास्पीटल आदि स्थापित करना।

6 - हैल्थक्लव, स्पोर्टस क्लव, क्रीडा संस्थान, तकनीकी प्रयोगशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय एवं वाचनालय चलाना तथा इन क्षेत्रो की योना तथा विकास कार्यों से जन सामान्य को अवगत कराने हेतु प्रचार-प्रसार के माध्यम विकसित करना तथा पत्र पत्रिकाओं एवं पुस्तको का प्रकाशन करना।

7 - किसानो, मजदूरो को कृषि तकनीकी की विस्तृत जानकारी देने हेतु देश विदेश के विभिन्न भागों में कृषि पर आधारित वैज्ञानिक शिक्षण - प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्रो की स्थापना एवं कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रो के विकास के लिये तथा ग्रामीण युवको को रोजगार दिलाने सम्बन्धी ग्रामीण औद्योगिकीकरण की योजना चलाना ।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 836304

8- मेधावी छात्रों,उपेक्षित वर्ग के युवको, वास्तुकार,शिल्पकार,रचनाकार एवं वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ताओं को प्रोतसाहित करने के लिये छात्रवृति एवं पुरूस्कार आदि की व्यवस्था करना।

9- समाज के कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, दलित पिछडे एवं आदिवासियो के लिये शासकीय सहयोग से योजनाये लागू करना।

10 - बेरोजगार नौजवान, अनाथ बच्चे, विकलांग ,विधवा एवं असाध्य रोगी तथा कुष्ट रोगी एवं महिलाओ के सामाजिक विकास, शिक्षण एवं सम्बधन के केन्द्र स्थापित करना।

11 - राष्ट्रीय एकीकरण,धर्मनिरपेक्षता,सर्वधर्म समभाव के आदर्शों के लिये कार्य करना। राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय समान विचार के संगठनो एवं अन्तराष्ट्रीय समान विचार के संगठनो से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करते हुये अपने संगठन के माध्यम से भारत सरकार एवं प्रान्तीय सरकार की जनकल्याणकारी योजनाये में हाथ बटाना ।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 836305

12 - संरक्षक मण्डल की स्वीकृति से समय समय पर अन्य जनहितकारी कार्य करना। इस ट्रस्ट की स्थापना के समय निम्नलिखित पदाधिकारी एवं संस्थापक सदस्य होंगे।

1• रमेश चन्द शर्मा चेयरमैन/ आजीवन अध्यक्ष ।

2• अजय शर्मा, सचिव नियमावली के अनुसार/ पाँच वर्ष को ।

3• कु0 पूनम शर्मा,उपसचिव नियमावली के अनुसार/पाँच **वर्ष** को ।

ट्रस्ट की स्थापना के समय से निम्नलिखित ट्रस्टी होंगे ।

सेक्शन- 4(1) के अनुरूप संरक्षक ट्रस्टी -7

1• मेवाराम पुत्र श्री रामदयाल नि0 63 डिफेन्स कोलोनी, आगरा

2• शिव कुमार मिश्रा, शहीद नगर, आगरा ।

सेक्शन - 4(2) के अनुरूप आजीवन ट्रस्टी -7

1• श्रीमती विरमा देवी शर्मा, 68 नरोत्तम कुंज, आगरा

2• सतीश शर्मा, 9 नरोत्तम कुंज, आगरा

सेक्शन - 4(3) के अनुरूप विशिष्ट ट्रस्टी । वर्ष के अन्दर बनाये जायेंगे।

सेक्शन - 4(4) के अनुरूप सहयोगी सदस्य -1 उमाकान्त मिश्रा, शास्त्री पुरम, आगरा।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 836306

नियमावली

1• संस्था का नाम - राज फाउन्डेशन

2• सस्था का पता - 68, नरोत्तम कुंज, आगरा

3• सस्था का कार्य क्षेत्र- समस्त भारत वर्ष ।

4• संस्था की सदस्यता के वर्ग -

§1§ संरक्षक/ संस्थापक सदस्य -

प्रतिष्ठान की स्थापना के एक वर्ष के अन्तर्गत अपनी सम्पत्ति या धनराशि दान में देने वाले व्यक्ति आजीवन संरक्षक सदस्य बनेगे । इसश्रेणी में अधिकतम 10 सदस्य बन सकेगे। एक सदस्य को 5 वर्ष के लिये नामित करने का अधिकार चेयरमेन के पास सदैव रहेगा यदि संरक्षक मण्डल की संख्या में कमी होती है तो आजीवन सदस्यों मे से किसी भी या त्यागपत्र देने वाले के प्रतिनिधि से निर्धारित अतिरिक्त दान § न्यूनतम पाँच लाख रूपया या सम्पत्ति § प्राप्त करके सम्पत्ति / उसको संरक्षाक मण्डल में नामित कर सकते है।

§2§ आजीवन ट्रस्टी -

इस श्रेणी में संस्थान के लिये पचास हजार से अधिक की धनराशि/सम्पत्ति

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 836307

दान में देने वाले व्यक्ति सदस्य बन सकते है इनकी अधिकतम संख्या 30 हो सकती है इन सदस्यो को अपने पाँच प्रतिनिधि प्रवन्ध समिति के चुनाव में भागीदारी करने हेतु नामित किये जाने का अधिकार होगा।

§3§ विशिष्ट सदस्य -

शिक्षाविद, प्रशासनिक अधिकारी, कृषि विज्ञान, संस्कृति एवं तकनीकी क्षेत्र के अग्रणी व्यक्ति समाजसेवी आदि वर्गों में अधिकतम 15 सदस्य 4 वर्ष के लिये सभापति द्वारा नामित किये जा सकते है।

§4§ सहयोगी सदस्य -

कोई भी शिक्षित सम्भ्रान्त नागरिक जो संरक्षक मण्डल द्वारा निर्धारित चन्दा §न्यूनतम ग्यारह हजार रुपया§ दान स्वरूप देकर सदस्य बन सकता है। किन्तु प्रवन्ध समिति के चुनाव में भाग नही लेसकता। सभापति इनमे से किन्ही 5 सदस्यो को अन्य वर्ग में नामित कर सकता है।

§5§ कोई भी सदस्य/ट्रस्टी सदस्यता के अयोग्य घोषित किया जाता है यदि -

1• वह पागल हो गया हो।

2• अपराधी हो गया हो ।

3• संस्थान से त्यागपत्र देकर अपना प्रतिनिधि नामित करना चाहता हो ।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 836308

1 MAY 2006

4• संस्थान के लिये अहितकर कार्य करने पर संरक्षक मण्डल द्वारा गठित जाँच समिति द्वारा दोषी सिद्ध हो गया हो।

§6§ संस्था के अंग -

संस्था के सफल सुचारु हेतुं दो भाग होंगे -

1• साधारण सभा § सीनेट § इसमें भी चार प्रकार के सदस्य/ट्रस्टी शामिलहोंगे।

2• कार्य परिषद§ एक्जीक्यूटिव काउन्सिल § जो साधारण सभा द्वारा चयनित पदाधिकारी एवं सदस्य तथा संस्थान से संचालित / सम्बद्ध संस्था के नामित पदेन सदस्य होंगे।

§7§ साधारणसभा § सीनेट §

यह स्थायी सर्वोच्च नीति निर्धारण सभा होती है जिसके द्वारा कई संस्थाओं का संचालन किया जा सकेगा । प्रत्येक संस्था का चल अचल सम्पत्ति पर मालिकाना हक इसी में निहित होगा। इसके तीन पदाधिकारी 1• अवैतानिक सभापति § चेयरमैन§जिसे चांसलर भी कहा जा सकेगा; 2• स्थापना के समय आजीवन रहेगा। 3• अवैतानिक सचिव § रजिस्ट्रार § तथा 4• एक या दो उप सचिव होंगे। संस्थापक सभापति आजीवन रहेगा। अध्यक्ष अपने जीवन काल में नये अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
B 836309

है यदि किसी कारणवश यह पद रिक्त होता है तो मात्र संरक्षक सदस्य आपस में मिलकर उस योग्तम व्यक्ति को 5 वर्ष के लिये चुन सकते है जो संस्थान को पाँच लाख से अधिक की सम्पत्ति दान में देगा। कोषाध्यक्ष की नियुक्त अध्यक्ष द्वारा 5 वर्ष को कीजायेगी ।

सचिव एवं उप सचिव का चयन सीनेट द्वारा प्रति 5 वर्ष बाद किया जायेगा तथा एक उपसचिव की नियुक्त सभापति द्वारा की जायेगी यह संस्था के पदाधिकारी अवैतनिक होंगे। यदि (सीनेट) चाहे तो उन्हें आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करे, इन सभी पदो पर शिक्षाविद् वैज्ञानिक या पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ही नियुक्त हो सकेंगे। यदि इनके चयन या सदस्यो के विषय में कोई विवाद है तो उस पर सभापति का निर्णय अन्तिम मान्य होगा। सीनेट की वर्ष में दो बैठक बुलायी जायेगी वार्षिक अधिवेशन में सहयोगी सदस्य भी बुलाये जायेंगे। प्रत्येक बैठक के लिये दो सप्ताह पूर्व सूचना देनी होगी बैठक में एक चौथाई सदस्यो कीउपस्थिति आवश्यक है।

सीनेट के कार्य -

1• ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं के लिये एक कार्य परिषद का चुनाव

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH B 836310

1 MAY 2006

इसी सदन द्वारा किया जायेगा जिसके लिये सभापति चुनाव अधिकारी की नियुक्त करेगा।

2• विभिन्न संस्थानो के लिये बजट स्वीकृत करना ।

3• संस्थानो के लिये वैतनिक निदेशा की नियुक्ति का अनुमोदन करना ।

4• संस्थान के हितो के समवर्धन के लिये किसी चल-अचल का क्रय-विक्रय, पट्टा रहन किरायेदारी प्रारम्भ , पारस्परिक सीतांतरण, दान, चंदा/ऋण प्राप्त करना या देना ।

5• शासकीय सहायता या देशी विदेशी संस्थाओं के सहयोग, सहायता, राहत प्राप्त करना ।

6• संस्थान के अधिकारी की सभापति में विहित माना जायेगा वह इन्हे किसी उप समिति या पदाधिकारी को या उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर उसको हस्तांतरित कर सकता है।

7• सभापति प्रत्येक संस्था के लिये उपयोगी समझते हुये एक संरक्षक एवं दो सलाहकार नियुक्त कर सकता है।

8• नये प्रावधान, विनिमय, नियम तैयार करना, न्यायालय या अन्य विधिक विवादो का निदान करना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH B 836311

MAY 2006

(अ) कार्य परिषद (प्रबन्धकारिणी समिति) -

यह सीनेट (साधारण सभा) की ओर से प्राधिकृत नीति निर्धारण समिति होगी जो ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं से सम्बन्धित प्रत्येक कार्य का संचालन करेगी । चेयरमेनइस कार्य परिषद का पदेन चांसलर / अध्यक्ष होगा। समिति एवं उपसचिव का चयन प्रत्येक संस्था के लिये पृथक हो सकता है इस विषय में अध्यक्ष को व्यवस्था देने का अधिकार होगा संस्था का निदेशक समिति का पदेन सदस्य होगा। कार्यपरिषद में 7 से 11 तक सदस्य चुने जा सकेंगे संस्था का प्राचार्य/प्रमुख भी परिषद का पदेन सदस्य नही होगा। शासकीय नियमो के अनुसार सदस्य भी बन सकेंगे।

कार्यपरिषद के कार्यकाल 5 वर्ष की समाप्ती के तीन माह पूर्व ही संस्थान/ ट्रस्ट का चेयरमेन सभी श्रेणी के सदस्यो की सूची को अंतिम रूप देकर जारी करेगा। जिसमें आजीवन तथा सहयोगी सदस्यों में से 5 का चयन भी शामिलहोगा। चुनाव अधिकारी का मनोनयन एवं चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करके चेयरमेन सभी सदस्यो को पंजीकृत डाक से सूचना करायेगा। कार्यपरिषद का अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष संस्थापक सदस्यो/संरक्षक मण्डल में से ही चुना जायेगा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 09AA 814853

कार्यपरिषद के अधिकार कर्तव्य -

1• वार्षिक वजट साधारण सभा (सीनेट) के निर्देशों के अनुरूप तैयार करके पारित करना।

2• कर्मचारी,अधिकारियो का चयन तथा उनकी सेवा शर्तों के लिये नीति निर्धारण

3• शासन एवं अन्य संस्थाओं से सहायता प्राप्त करके उसका सही उपयोग करना।

4• संस्था के लिये संरक्षक,सलाहकार, आडीटर की नियुक्त हेतु चेयरमैन की संस्तुति करना।

5• सीनेट से प्राधिकृत होकर अन्य कार्य करना।

(9) कार्यपरिषद के अधिकारियो के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1• अध्यक्ष;परिषद की बैठको की अध्यक्षता करना ,तिथि निर्धारित या परिवर्तित करना।

2• संस्थाओं की समस्त प्रशासन योजनाओं पर नजर रखना।

3• सम्बद्ध प्रत्येक संस्था के निदेशक/प्राचार्य के साथ समस्त खातों,लेखे,विलेखे का संचालन करना ।

4• आपतकालीन व्यय के लिये संस्थाओं को स्वीकृति देना।

5• सरकारी, गैरसरकारी सहायता प्राप्त करना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH B 826750

किसी संस्था का कर्मचारी किसी पदपर चुना नही जा सकेगा। आपस में संबंधी कार्यपरिषद में नही आ सकेगे। किसी भ्रष्टाचार के आरोप, अपराधिक आरोप, शासकीय सेवा मेंदन्डित व्यक्तिको सदस्यता से हटाया जा सकता है। उसके स्थान पर शेष अवधि के लिये चेयरमेन द्वाराकिसी अन्य संसदस्य को नामित करने का अधिकार होगा।

बैठक एवं गणपूर्ति -

1• कार्यपरिषद की सामान्य बैठक में तीन-चार बुलायी जायेगी जिसे लिये एक सप्ताह का नोटिस होगा।

2• विशेष बैठक, अध्यक्ष के निर्देश पर कभी भी बुलायी जा सकती है जिसके लिये एक दिन पूर्व सूचना दी जायेगी इस बैठक में 1/5 सदस्यो की उपस्थित आवश्यक है।

3• बैठक की अध्यक्षता सभापति ही करेगा तथा निर्णायक विषय मेंसंस्थ ान के निदेशक/प्राचार्य एवं सचिव के परामर्श को अहमीयता देंगे। बैठक में विवाद की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम मान्य होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 09AA 814854

6• संस्था के अधिकारी, कर्मचारी, आदि की नियुक्ति, निलम्बन, बर्खास्तगी की स्वीकृति प्रदान करना।

7• विशेष परिस्थितियों में या बैठक में निर्णय न हो पाने की स्थिति में सीनेट, काउन्सिल के समस्त अधिकारो में से किसी का भी उपयोग करना।

सचिव-

1• उस संस्था के लिये शासकीय सहायता प्राप्त करने हेतु अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्यकरना

2• अध्यक्ष के निर्देशन में संस्था का बजट तैयार करना तथा सम्पत्तियो का रख रखाव सुनिश्चित करना/ आवश्यक होने पर अध्यक्ष के साथ खातो का संचालन करना।

3• वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा संस्था की प्रगति रिपोर्ट आडिट के बाद अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना।

4• कर्मचारियो की नियुक्ति, निलम्बन, सेवा शर्तों पर निदेशक के साथ नीति निर्धारण कर अध्यक्ष से स्वीकृति प्राप्त करना।

5• अध्यक्ष कोर्डिनेशन पर परिषद की बैठक बुलाना कार्यवाही का संचालन करना एवं लिखित विविरण तैयार करके अध्यक्ष से स्वीकृति कराना।

6• संस्था से सम्बन्धित विवादों पर अध्यक्ष के परामर्श पर न्यायालय शासकीय कार्यलय आदि में पैरोकारी करना।

7• कांउसिल एवं अध्यक्ष के निर्देशानुसार अन्य कार्य क

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

09AA 814855

उप सचिव-

1• प्रबंधक की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्यों की देखरेख करना।

2• अध्यक्ष के निर्देशानुसार अन्य आबंटित कार्य करना ।

कोषाध्यक्ष -

1• सचिव के साथ मिलकर संस्थाओं का बजट तैयार करना तथा वित्तीय नीति तैयार कर सभापति का अनुमोदन प्राप्त करना

2• संस्था की समस्त निधियो तथा धनराशियो पर सभापति/सचिव के साथ खातो का संचालन करना तथा उसका विवरण रखना।

3• वर्ष एक बार सभी अभिलेखो की जाँच करके आडिट करना।

4• संस्थाओं के सामान्य प्रशासन पर नजर रखना, सम्बद्ध प्राचार्य/आचार्य को निर्देशित करते हुये सफल संचालन की व्यवस्था करना।

5• भवन निर्माण ,मरम्मत एवं विकास कार्यों को, चेयरमेन के परामर्श पर पूरा करना

6• सभापति के निर्देशानुसार अन्य कोई भी कार्य करना।

(10) सीनेट, सभापति के प्रस्ताव पर नियमो, उपनियमो, में आवश्यक संशोधन बहुमत के आधार के द्वारा कर सकती है किन्तु ऐसी बैठक में आधे से अधिक सदस्य होने चाहिये।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 09AA 814861

(11) ट्रस्ट के लिये धन संचय करनेका कार्य सभी पदाधिकारी मिलकर सभापति के नेतृत्व में करेंगे। सहायता या दान शासन व अन्य संस्थाओं व व्यक्तियो से भी प्राप्त करना।

(12) ट्रस्ट के सभी अभिलेखो ,विलेख निदेशक द्वारा वर्ष में एक बार परीक्षित किये जायेंगे तथा बजट 30 अप्रैल तक स्वीकृत कराया जायेगा।

(13) ट्रस्ट तथा संस्थाओं के नाम के समस्त कानूनी कार्यवाही की देखरेख सभापति के निर्देशन में निदेशक/ प्राचार्य या सचिव करेगा।

(14) संस्था से सम्बन्धित सभी अभिलेख,रजिस्टार,स्टाक रजिस्टर,कैशबुक ,रसीदबुके आदि सभापति एवं निदेशक के पास रहेंगे वही इनके लिये उत्तरदायी होंगे।

इस ट्रस्ट डीड की मालियती 51,000/- रुपया पर नियमानुसार स्टाम्प विधिवत अदा किया गया है।

इस न्यास (पब्लिक ट्रस्ट) का गठन " इन्डियन ट्रस्ट एक्ट " 1882 के प्राविधानो के अनुरूप किया गया है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 09AA 814862

लिहाजा यह ट्रस्ट डीड (न्यासपत्र) लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे तहरीर तारीख 5•5•2006 ई व मसौदा दिनेश गर्ग दस्तावेज लेखक निवासी बी 36 भगवान नगर बल्केश्वर आगरा ।

नोट- पर्त 14 की सतर 7 में का व संचालन के बीच टाइप से कटा है जो स्वीकार है।

गवाह—

दिनेश शर्मा (दस्तावेज लेखक)
बी.36 भगवान नगर बल्केश्वर आगरा
लाo नंo 9. शुल्क ——— वैध 200

दिनेश शर्मा (दस्तावेज लेखक)
बी.36 भगवान नगर बल्केश्वर आगरा
लाo नंo 9. शुल्क 50 वैध 200

गवाह - श्यामसुन्दर
श्री नरायनसिंह गौर
नि. मधु नगर आगरा